राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

कमांकः प.2(21)वित्त/राजस्व/90 दिनांकः– - 8 MAR 2017

परिपत्र

इस विभाग के पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28.05.2010 एवं दिनांक 26.10.2010 द्वारा जारी निर्देशों के अतिक्रमण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में निम्न दिशा निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैः–

1. अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार (नवीन पदनाम– सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।) एवं सहायक लेखाधिकारी (नवीन पदनाम– सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।) का स्थानान्तरण साधारणतया ***चार वर्ष से पूर्व*** नहीं किया जावेगा। विशिष्ट परिस्थितियों एवं राज्य हित में ***चार वर्ष से पूर्व भी*** राज्य सरकार की अनुमति से स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

2. इन कार्मिकों को यथासंभव उनके ***गृह जिले में ही पदस्थापित*** किया जावेगा। यदि पद के अभाव में किसी अपरिहार्य स्थिति में गृह जिले में पदस्थापित किया जाना संभव नहीं हो तो ऐसे निकटवर्ती जिले में पदस्थापन किया जायेगा जहां उपयुक्त पद उपलब्ध हो।

3. गृह जिले/वैकल्पिक आवासीय जिले से बाहर कार्यरत लेखाकर्मियों की वरिष्ठता निदेशालय स्तर पर संधारित की जाएगी। गृह जिले/वैकल्पिक आवासीय जिले में पद रिक्त होने पर ऐसे इच्छुक कार्मिकों को उनके गृह जिले/वैकल्पिक आवासीय जिले से बाहर पदस्थापन अवधि की वरिष्ठता के आधार पर गृह जिले/वैकल्पिक आवासीय जिले में पदस्थापन हेतु पद की उपलब्धता होने पर नव पदोन्नत कार्मिकों से प्राथमिकता दी जायेगी। पदोन्नत कार्मिकों को गृह जिले/वैकल्पिक आवासीय जिले में पद रिक्त नहीं होने पर अन्य जिले में पदस्थापित किया जायेगा जहां उपयुक्त पद उपलब्ध हो।

   वैकल्पिक आवासीय जिले का निर्धारण निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा कार्मिकों के आवेदन के आधार पर संबंधित जिले में आवेदक या आवेदक के पति/पत्नि के नाम मकान होने की स्थिति में केवल स्थानान्तरण प्रयोजनार्थ किया जायेगा। लेखाकर्मियों के स्थानान्तरण में गृह जिले के कार्मिक को वैकल्पिक गृह जिले के कार्मिक पर प्राथमिकता दी जायेगी।

4. किसी भी कार्मिक को एक ही स्केल में दो से अधिक बार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

5. कार्मिक को ***लगातार दो बार प्रतिनियुक्ति*** पर राजकीय उपकमों एवं स्थानीय निकायों में तथा समान प्रकृति के कार्यालयों जैसे राजस्व अर्जित करने वाले विभाग अथवा निर्माण कार्य से संबंधित विभागों में पदस्थापित नहीं किया जावेगा। ऐसी दो नियुक्तियों के मध्य ***न्यूनतम चार वर्ष*** का अन्तराल होना अपेक्षित है।

6. राजकीय उपकमों/स्थानीय निकायों में ***प्रतिनियुक्ति*** अवधि अधिकतम ***चार वर्ष*** होगी तथा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अनुशंषा पर अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।

7. ***पति एवं पत्नि दोनों*** के राजकीय सेवा में होने की स्थिति में दोनों कार्मिकों को यथासंभव ***एक ही स्थान पर*** पदस्थापित किये जाने का प्रयास किया जावेगा। इस हेतु संबंधित कार्मिक को लिखित रूप में वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने के 30 दिवस में निदेशक, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा जिसमें पति/पत्नि के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस बारे में जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

8. ***सेवानिवृत्ति में दो वर्ष*** अथवा इससे कम अवधि शेष रहने पर आवेदन करने पर इच्छित जिले (विभाग/कार्यालय नहीं) में पद रिक्त होने पर पदस्थापन किया जा सकेगा।

9. ***विधवा/परित्यक्तता/अविवाहित*** महिला कर्मचारी को यथासंभव उसके ***इच्छित शहर/कस्बे*** में (विभाग/कार्यालय नहीं) पद रिक्त होने पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कार्मिक को अपना लिखित आवेदन निदेशक, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करना होगा।

10. अगर ***कार्मिक स्वयं*** अथवा उसकी पत्नी/पति अथवा आश्रित बच्चे ***गंभीर बीमारी*** यथा– कैंसर, एड्स, हृदय रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैपेटाईटिस–बी, थैलीसीमिया रोग, मनोरोग से पीड़ित है, तो सम्बंधित चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य (Principal) के प्रमाण पत्र एवं अभिशंषा के आधार पर ***इच्छित स्थान (विभाग/कार्यालय नहीं)*** पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

11. ***शारीरिक रूप से निःशक्त कार्मिक*** को उसकी ***सुविधा अनुसार*** पदस्थापित किया जावेगा। इस हेतु संबंधित कार्मिक को लिखित रूप में वित्त वर्ष के प्रारम्भ होने के 30 दिवस में निदेशक, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा। यदि कर्मचारी निःशक्तजन कोटे में नियुक्त नहीं हुआ है तो उसे प्रार्थना पत्र के साथ ***सक्षम अधिकारी/मेडिकल बोर्ड*** द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

12. पारस्परिक स्थानान्तरण बिन्दु संख्या 1 में निहित अवधि से पूर्व भी किये जा सकेंगे परन्तु एक बार पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने पर ऐसे दोनों कार्मिकों का पुनः अन्यत्र स्थानान्तरण निर्धारित अवधि पूर्ण होने/नीति अन्तर्गत होने पर ही विचार किया जावेगा।

13. किसी कार्यालय में लेखाकर्मी के स्वीकृत पद की समाप्ति, क्रमोन्न्त/क्रमावनत होने पर कार्मिक के आदेशों की प्रतीक्षा में होने अथवा किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश की पालना में आदेशों की प्रतीक्षा में होने पर ऐसे कार्मिकों का पदस्थापन ***वित्त (नियम) विभाग*** के आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/नियम/2007 दिनांक 08.06.2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

14. ***अनुशासनहीनता*** अथवा ***शिकायत*** के कारण विभाग द्वारा रिलीव किये गये लेखाकर्मी के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

15. वांछित पद रिक्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकता है, यदि ऐसा किया जाना नीति के विपरीत न हो।

16. इस नीति के अन्तर्गत समायोजित न होने वाले ***आवेदन एवं अनुशंषाओं*** पर कियान्विति से पूर्व ***माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन*** प्राप्त किया जावेगा।

17. ऐसे जिलों को ***क्रिटिकल जिला*** माना जावेगा जहां अधीनस्थ लेखा सेवा के स्वीकृत कुल पदों के 50 प्रतिशत या अधिक पद रिक्त है। उक्त जिलों से ***जिले के बाहर स्थानान्तरण यथासम्भव*** नहीं किये जावेंगे।

18. सेवानिवृति में ***तीन वर्ष या कम अवधि*** शेष रहने पर ऐसे कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को सेवानिवृत्ति से ***छः माह पूर्व*** प्रतिनियुक्ति से वापस राजकीय विभागों में रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जायेगा।

8/3/17
(एजाज नबी खान)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय)।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

8/3/17
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांकःप.2(21)वित्त/राजस्व/90 दिनांकः 17.09.2009

परिपत्र

इस विभाग के पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.08.2008 द्वारा जारी निर्देशों के अतिक्रमण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते हैः-

1. अधीनस्थ लेखा सेवा के सहायक लेखाधिकारी को किसी एक पद पर ***पांच वर्ष से अधिक की अवधि*** एवं लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार को ***सात वर्ष से अधिक की अवधि*** के लिए पदस्थापित नहीं रखा जावेगा।
2. इन कार्मिकों को यथासंभव उनके ***गृह जिले में ही पदस्थापित*** किया जावेगा। यदि पद के अभाव में किसी अपरिहार्य स्थिति में गृह जिले में पदस्थापित किया जाना संभव नहीं हो तो ऐसे निकटवर्ती जिले में पदस्थापन किया जायेगा जहां उपयुक्त पद उपलब्ध हो।
3. 10 वर्ष से अधिक अवधि से गृह जिले के बाहर कार्यरत लेखाकर्मियों की वरिष्ठता निदेशालय स्तर पर संधारित की जावेगी तथा गृह जिले में पद रिक्त होने पर ऐसे कार्मिकों को उनके गृह जिले से बाहर पदस्थापन की अवधि के आधार पर गृह जिले में पदस्थापन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
4. किसी भी कार्मिक को एक ही स्केल में दो से अधिक बार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं किया जावेगा।
5. कार्मिक को ***लगातार दो बार प्रतिनियुक्ति पर*** राजकीय उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों में तथा समान प्रकृति के कार्यालयों जैसे राजस्व अर्जित करने वाले विभाग अथवा निर्माण कार्य से संबंधित विभागों में पदस्थापित नहीं किया जावेगा। ऐसी दो नियुक्तियों के मध्य ***न्यूनतम चार वर्ष का*** अन्तराल होना अपेक्षित है।
6. राजकीय उपक्रमों/स्थानीय निकायों में ***प्रतिनियुक्ति*** अवधि अधिकतम ***चार वर्ष होगी*** तथा विभाग के प्रशासनिक सचिव की अनुशंषा पर अधिकतम एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी।
7. ***पति एवं पत्नि दोनों*** के राजकीय सेवा में होने की स्थिति में दोनों कार्मिकों को यथासंभव ***एक ही स्थान पर पदस्थापित*** किये जाने का प्रयास किया जावेगा। इस हेतु संबंधित कार्मिक को लिखित रूप में वित्त वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिवस में निदेशक, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा जिसमें पति/पत्नि के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस बारे में जारी प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. ***सेवानिवृत्ति में दो वर्ष*** अथवा इससे कम अवधि शेष रहने पर आवेदन करने पर इच्छित जिले (विभाग/कार्यालय नहीं) में पद रिक्त होने पर पदस्थापन किया जा सकेगा।
9. ***विधवा/परित्यक्तता/अविवाहित*** महिला कर्मचारी को यथासंभव उसके ***इच्छित शहर/कस्बे में*** (विभाग/कार्यालय नहीं) पद रिक्त होने पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कार्मिक को अपना लिखित आवेदन निदेशक, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करना होगा।
10. ***गंभीर बीमारी*** (कैंसर, एड्स, हृदय रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग अथवा मनोरोग आदि) से पीड़ित ***स्वयं*** कार्मिक ***अथवा उसकी पत्नि/पति एवं आश्रितों संतानों*** वाले कर्मचारी को उनके ***इच्छित स्थान (विभाग/कार्यालय नहीं) पर पदस्थापित*** किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित चिकित्सालय के अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न किया जाना वांछनीय होगा।
11. ***शारीरिक रूप से निःशक्त कार्मिक*** को उसकी ***सुविधा अनुसार*** पदस्थापित किया जावेगा। इस हेतु संबंधित कार्मिक को लिखित रूप में वित्त वर्ष के प्रारंभ होने के तीस दिवस में

निदेशक, कोष एवं लेखा को आवेदन करना होगा। यदि कर्मचारी निःशक्तजन कोटे में नियुक्त नहीं हुआ है तो उसे प्रार्थनापत्र के साथ ***सक्षम अधिकारी/मेडीकल बोर्ड*** द्वारा जारी निशक्तता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।

12. इस नीति के विपरीत नहीं होने पर ***लोकेशन (जिला/उपखण्ड/तहसील) परिवर्तन होने वाले मामलों में*** परस्पर सहमति के आधार पर स्थानांतरण (Mutual Transfers) किये जा सकेंगे।

13. किसी कार्यालय में लेखाकर्मी के स्वीकृत पद की समाप्ति, क्रमोन्नत/क्रमावनत होने पर, आदेशों की प्रतीक्षारत होने पर अथवा किसी सक्षम न्यायालय के न्यायिक आदेश की पालना में लेखाकर्मी के आदेशों की प्रतीक्षा में होने पर निदेशालय, कोष एवं लेखा अथवा उनके द्वारा निर्धारित अन्य कार्यालयों में ***उपस्थिति देने की तिथि से 10 दिवसों में ऐसे कर्मचारी को निदेशक, कोष एवं लेखा द्वारा जिले में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित किया जा सकेगा।***

14. ***अनुशासनहीनता*** अथवा ***शिकायत के कारण*** विभाग द्वारा रिलीव किये गये लेखाकर्मी के पदस्थापन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

15. वांछित पद रिक्त होने पर स्थानान्तरण किया जा सकता है यदि ऐसा किया जाना नीति के विपरीत न हो।

16. इस नीति के अंतर्गत समायोजित न होने वाले ***आवेदन एवं अनुशंषाओं*** पर क्रियान्विति से पूर्व ***माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन*** प्राप्त किया जावेगा।

इस वर्ष 2009-10 के दौरान स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करते समय निम्न विशेष बिन्दुओं की भी पालना अपेक्षित है-

1. ***दिनांक 01.01.2009 को*** जारी पदोन्नति एवं स्थानांतरण आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी एवं इसमें ***किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नही*** किया जावेगा।

2. उन क्रिटिकल जिलों (जैसे-बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, बांसवाडा, डूंगरपुर, बारां एवं झालावाड़ आदि), जिनमें लेखाकर्मियों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं, में से ***जिले के बाहर स्थानांतरण यथासंभव नहीं*** किये जायेंगे। यह भी ध्यान रखा जावेगा कि ऐसे जिलों में जिले के अन्दर स्थानान्तरण करते समय भी किसी एक स्थान पर सभी पद रिक्त न हो जावें।

(एस.एस. राजावत)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व/बजट/व्यय/)।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी (समस्त अनुभाग) वित्त विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव